पत्रांक – खा०प्र०–01 / ज०वि०प्र० / 6–6 / 2020– 1287

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

/ राँची, दिनांक :– 28.5.2020

विषय :– **आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित सुपात्र परिवार को माह मई एवं जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह की दर से माह जून, 2020 में एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल प्रति प्रवासी मजदूर / गैर NFSA सुपात्र परिवार को मुफ्त में उपलब्ध कराने हेतु 5.67 करोड़ रूपये के संभावित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1260, दिनांक 22.05.2020 एवं भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्रांक– 7-1/2019-BP.III(Pt.)(ii), दिनांक 22.05.2020

महाशय,

भारत सहित सम्पूर्ण विश्व कोरोना (Covid-19) जैसे घातक वॉयरस के प्रकोप से ग्रसित है। इस वॉयरस के प्रकोप के कारण आम जन जीवन के साथ रोजगार भी प्रभावित हुआ है जिसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। परिणाम स्वरूप राज्य में प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है, जिनके भोजन की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है।

2. इस क्रम में आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को माह मई एवं जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रति प्रवासी प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा दो माह के लिए कुल 26,370.023 मे० टन चावल आवंटित किया गया है।

3. उक्त के आलोक में प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश (परिशिष्ट–1) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित प्रवासी मजदूरों / फंसे हुए मजदूरों को माह मई एवं जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह की दर से माह जून, 2020 में एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल प्रति प्रवासी मजदूर मुफ्त में उपलब्ध कराने हेतु 5.67 करोड़ रूपये के संभावित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. भारत सरकार द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत माह मई 2020 के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव की अवधि दिनांक 31.05.2020 तक तथा माह जून 2020 के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव की अवधि दिनांक 15.06.2020 तक निर्धारित की गई है।

साथ ही, भारत सरकार द्वारा यह भी निदेशित किया गया है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो उक्त दोनों माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का उठाव एक साथ भी किया जा सकता है, जिसके लिए निर्धारित अवधि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के निर्गत की तिथि से 30 दिनों तक होगी।

5. इस क्रम में भारत सरकार के पत्रांक–7-1/2019-BP.III(Pt.)(ii), दिनांक 22.05.2020 (परिशिष्ट–2) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि संबंधित योजनान्तर्गत प्रवासी मजदूरों / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ वैसे व्यक्तियों को भी लाभान्वित किया जा सकता है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य के PDS कार्ड योजना के तहत आच्छादित नहीं है।

6. इस संदर्भ में यह निर्णय लिया जाता है कि भारत सरकार द्वारा उक्त आवंटित खाद्यान्न से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित प्रवासी मजदूरों / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ–साथ

प्राथमिकता के आधार पर ऐसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान करते हुए खाद्यान्न वितरित किया जायेगा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं है, किन्तु पात्रता की श्रेणी में आते हैं।

इस क्रम में गैर NFSA सुपात्र परिवार को भी प्रवासी मजदूर की भाँति माह मई एवं जून, 2020 के लिए 05 किलोग्राम चावल प्रतिमाह की दर से माह जून, 2020 में एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल प्रति परिवार मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का जिलावार उपावंटन निम्नवत प्रकार से किया जाता है–

(मात्रा टन में)

क्र० सं०	जिला का नाम	मासिक खाद्यान्न	दो माह (मई एवं जून 2020) के लिए कुल खाद्यान्न
1	2	3	4
1	बोकारो	642.5208	1285.0415
2	चतरा	498.2997	996.5994
3	देवघर	606.9381	1213.8763
4	धनबाद	745.7731	1491.5462
5	दुमका	535.4520	1070.9040
6	गढ़वा	882.2993	1764.5987
7	गिरिडीह	1964.7495	3929.4990
8	गोड्डा	645.9449	1291.8897
9	गुमला	293.9048	587.8095
10	हजारीबाग	675.9126	1351.8251
11	जामताड़ा	308.3952	616.7905
12	खूँटी	165.3081	330.6163
13	लातेहार	360.4823	720.9645
14	लोहरदगा	153.8039	307.6077
15	पाकुड़	283.0811	566.1623
16	पलामू	1186.4353	2372.8706
17	रामगढ़	230.7793	461.5586
18	राँची	709.2725	1418.5450
19	सिमडेगा	193.5900	387.1800
20	कोडरमा	316.5461	633.0922
21	साहेबगंज	472.5769	945.1539
22	सरायकेला	290.7428	581.4856
23	पूर्वी सिंहभूम	561.6337	1123.2675
24	प० सिंहभूम	460.5695	921.1389
	कुल	**13185.0115**	**26370.023**

8. भारत सरकार द्वारा यह भी निदेशित किया गया है उक्त आवंटित खाद्यान्न के वितरण हेतु लाभुकों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस दृष्टिकोण से सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा ऐसे प्रवासी मजदूरों/फंसे हुए प्रवासी मजदूरों/गैर NFSA सुपात्र परिवार की पहचान करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा समस्त आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

जिलावार ऐसे प्रवासी मजदूरों/फंसे हुए प्रवासी मजदूरों/गैर NFSA सुपात्र परिवार की सूची जिला स्तर पर संधारित करते हुए तत्संबंधी सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन, खाद्यान्न का उठाव, वितरण, इत्यादि का व्यापक अनुश्रवण किया जायेगा।

9. भारत सरकार द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से किया जायेगा तथा माह मई एवं जून, 2020 हेतु अनुमान्य 10 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण जनवितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से 1 जून, 2020 से आरंभ करते हुए 30 जून, 2020 तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।

इस क्रम में संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उनके पास उपलब्ध खाद्यान्न से प्राथमिकता के आधार पर प्रथमतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित प्रवासी मजदूरों को अविलम्ब

अनुमान्य खाद्यान्न मुफ्त में वितरित करते हुए वितरित खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति कालक्रम में नियमानुसार कर ली जायेगी।

10. वर्तमान में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर निम्न रूप से व्यय भारित होता है:–

(राशि रूपये प्रति क्विंटल में)

JSFC को देय संचलन अनुदान	डोर स्टेप डिलिवरी	डीलर कमीशन	कुल
75.00	40.00	100.00	215.00

इस प्रकार खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर कुल 215 रूपये प्रति क्विंटल की दर से व्यय भारित होगा। इस क्रम में उक्त आवंटित सम्पूर्ण खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर वर्तमान व्यवस्था के तहत अधिकतम 5.67 करोड़ रूपये का व्यय भारित होगा।

11. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–7-1/2019-BP.III(Pt.)(i), दिनांक 15.05.2020 द्वारा निदेशित किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, डीलर कमीशन, इत्यादि पर भारत सरकार द्वारा राशि व्यय की जायेगी।

विदित हो कि "खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम, 2015" अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 636(अ), दिनांक 17.08.2015 के अनुसार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के Intra State Movement & Handling तथा डीलर मार्जिन पर राज्य सरकार को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता राशि का निर्धारण निम्नवर्णित प्रकार से किया गया है :–

(राशि रूपये प्रति क्विंटल में)

Intra-State movement and handling	Dealers' margin		Total
	Basic	Additional margin for sale through point of sale device	
65.00	70.00	17.00	152.00

12. इस दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा Intra-State transportation, dealers' margin/additional dealers' margin पर सम्पूर्ण राशि का भार वहन किये जाने के क्रम में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार द्वारा संबंधित मदों पर 152 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि अनुमान्य होती है।

13. भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन प्रथमतः भारत सरकार से संबंधित मदों में प्राप्त निधि एवं शेष राशि का व्यय राज्य निधि से किया जायेगा।

14. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में COVID-19 संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए माह मई एवं जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह की दर से माह जून, 2020 में एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल प्रति प्रवासी मजदूरों/फंसे हुए मजदूरों (Migrant/Stranded Migrant Workers) को मुफ्त में उपलब्ध कराने हेतु संभावित व्यय की राशि 5.67 करोड़ है जिसकी स्वीकृति प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश संख्या–1260, दिनांक 22.05.2020 के माध्यम से *बजटशीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–उप शीर्ष–66–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण* के अंतर्गत प्रक्षेत्रवार निम्नवत् प्रदान की गई है, तथा इसका ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या–340 है –

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	उपबंधित राशि	पूर्व में स्वीकृत	आत्मनिर्भर भारत के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत राशि
1	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (18S345600796660652)	80,00,00,000	15,20,00,000	2,13,50,000
2	सिविल पूर्ति योजना (18S345600102660652)	70,00,00,000	13,31,00,000	2,79,79,000
3	अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना (18S345600789660652)	37,00,00,000	7,60,00,000	73,71,000
	कुल	**1,87,00,00,000**	**36,11,00,000**	**5,67,00,000**

(रूपये पाँच करोड़ सरसठ लाख मात्र)

उपर्युक्त स्वीकृत राशि से ही गैर NFSA सुपात्र परिवारों को संबंधित योजनान्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

15. संबंधित योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न/विमुक्ति आदेश के आधार पर संचलन अनुदान से संबंधित विपत्र तैयार किया जायेगा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

तदनुसार संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विपत्रों की जॉचोपरान्त कोषागार से fully vouched bill के रूप में राशि की निकासी की जायेगी। साथ ही, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाग से जनवितरण प्रणाली दुकान तक परिवहन किये गये खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में अनुमान्य डोर स्टेप डिलीवरी की राशि का भुगतान किया जायेगा।

16. उपर्युक्त स्वीकृत राशि से जनवितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से प्रवासी मजदूरों/फंसे हुए मजदूरों के बीच वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में जनवितरण प्रणाली दुकानदार को डीलर कमीशन की राशि अनुमान्य होगी।

17. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

18. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी विभागीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव, निदेशालय स्तर पर निदेशक एवं जिला स्तर पर उपायुक्त होंगे।

19. संबंधित योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलों द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा आवंटित सम्पूर्ण खाद्यान्न एवं राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

20. इस क्रम में निर्गत प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1260, दिनांक 22.05.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

21. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

22. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त।

28.5.20

(अरूण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:– खा०प्र०–01/ज०वि०प्र०/6–6/2020 – 1287 /राँची, दिनांक – 28.5.2020

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी, राँची/श्रीमती शिवानी कोड़ाह, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/सभी उपायुक्त/सभी विशिष्ट अनुमाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय/अवर सचिव, प्रशाखा–3 (बजट प्रशाखा)/विभागीय प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

28.5.20

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट - 2

(54)

F.No.7-1/2019-BP.III(Pt.)(ii)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Deptt. Of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 22 May, 2020

To,

1. The Food Secretaries/Commissioners/Addl. Secretaries (All States/UTs)

2. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.

Subject: Allocation of food-grain free of cost under Atma Nirbhar Bharat Package @ 5kg per person per month for two months as part of Economic measures clarification reg

Sir/Madam,

During the Video-conference of the Minister, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with State Food Ministers on the distribution of foodgrains some states sought clarification regarding distribution of food-grains under Atma Nirbhar Bharat Package.

In this connection, reference is invited to the communication of even number dated 15.5.2020 regarding allocation of foodgrain to the Migrants / Stranded Migrants @ 5 kg per person per month free of cost for two months (May & June, 2020) to benefit approximately 8 crore migrants/stranded migrants.

In continuation of the clarification issued by this Department letter of even number dated 16.5.2020 on the above cited subject, I am directed to further clarify that while identifying the beneficiaries States /UTs may also consider such persons for benefit under the package(within the ceiling conveyed) who do not have any ration card (NFSA / State Ration Card) including migrants / stranded migrants. All such persons may be considered to be entitled for benefit under the Scheme for distribution of food grain @ 5 kg per person per month free of cost for two months (May & June, 2020).

The identification of the beneficiaries is the responsibility of the States / UTs and after implementation of the scheme by June 15, 2020, State Govt may submit utilisation by July 15,2020.

This issues with the approval of Secretary, FPD.

Yours faithfully,

(Abhay Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel:011-23385726

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.
2. AS &FA, DFPD

Scanned with C